NAFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

CRR No.-988 of 2023

- विशाल सिंह सिसोदिया, आत्मज–अमर सिंह सिसोदिया (ठाकुर), उम्र–लगभग 29 वर्ष, निवासी–हिंगणघाट, इंदिरा गांधी वार्ड, जिला–वर्धा, महाराष्ट्र

.............आवेदक

विरूद्ध

- श्रीमती पायल उर्फ भारती सिंह राजपूत (सिसोदिया), पति–विशाल सिंह सिसोदिया, उम्र–लगभग 28 वर्ष, निवासी–ग्राम रैता, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

...........अनावेदक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक द्वारा : श्री विवेक मिश्रा, अधिवक्ता ।

मानननीय श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

!! पीठ पर आदेश !!

20/09/2023

1. इस दाण्डिक पुनरीक्षण आवेदन में विचारण न्यायालयः–प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमाँक–732/2022 में दिनाँक–07/09/2023 को पारित अंतरिम भरण–पोषण संबंधी आदेश को चुनौती दी गयी है । जिसे आगे 'प्रश्नाधीन आदेश' से संबोधित किया जा रहा है ।

2. 'प्रश्नाधीन आदेश' के तहत अनावेदक पत्नी श्रीमती पायल उर्फ भारती सिंह राजपूत (सिसोदिया) का आवेदन स्वीकार कर, आवेदक पति विशाल सिंह सिसोदिया को आदेशित किया गया है कि वह 3,000/–(तीन हजार रूपये) मासिक अंतरिम भरण–पोषण राशि आवेदन दिनाँक–12/09/2022 से अनावेदक पत्नी श्रीमती पायल उर्फ भारती सिंह राजपूत (सिसोदिया) को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अदा करेगा ।

3. यह अविवादित तथ्य है कि उभयपक्ष का विवाह दिनाँक–07/07/2021 को ग्राम–रैता, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ में सम्पन्न हुआ था । वर्तमान में, अनावेदक पत्नी श्रीमती पायल उर्फ भारती सिंह, आवेदक पति विशाल सिंह सिसोदिया से पृथक निवासरत् है ।

4. विचारण न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **रजनेश विरूद्ध नेहा व अन्य, दाण्डिक अपील क्रमाँक–730/2020** के प्रकाश में प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर यह पाया है कि अनावेदक पत्नी श्रीमती

पायल उर्फ भारती सिंह की शिक्षा बी०कॉम० है किन्तु, वह कोई व्यवसाय नहीं करती है । आवेदक पति विशाल सिंह सिसोदिया के शपथ–पत्र में यह पाया गया है कि वह प्राईवेट नौकरी में होकर 7,000/–(सात हजार रूपये) मासिक आय अर्जित करता है ।

5. आवेदक पति विशाल सिंह सिसोदिया पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क इस आशय का है कि उसकी मासिक आय मात्र 7,000/–(सात हजार रूपये) है और उस पर, उसके वृद्ध माता–पिता भी आश्रित हैं । 'प्रश्नाधीन आदेश' के तहत 3,000/–(तीन हजार रूपये) रूपये की अंतरिम मासिक भरण–पोषण राशि ज्यादा निर्धारित कर दी गयी है जो कम किये जाने योग्य है । अतः आवेदन स्वीकार कर उक्त आदेश अपास्त किया जाये ।

6. अनावेदक पत्नी श्रीमती पायल उर्फ भारती सिंह ने आवेदन का विरोध करते हुए उल्लेख किया है कि आवेदक पति विशाल सिंह सिसोदिया कम्प्यूटर ऑपरेटर व मैनेजर के कार्य से प्रतिमाह 30,000/–(तीस हजार रूपये) का आय अर्जित करता है । अतः पति से 10,000/–(दस हजार रूपये) अंतरिम भरण–पोषण दिलाये जाने का निवेदन किया गया था ।

7. अभिलेख का परिशीलन किया गया एवं आवेदक पति पक्ष को प्रथम स्तर पर सुना गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. आवेदक पति पक्ष ने मामले में जो दस्तावेजों की प्रतिलिपियां संलग्न की हैं उसमें वह इस बाबत् अपना कोई अभिवचन बता पाने में असमर्थ रहा है कि उस पर, उसके वृद्ध माता–पिता भी आश्रित हों । जहां तक, अंतरिम भरण–पोषण राशि के निर्धारण का प्रश्न है? उस पर, आवेदक पक्ष की विशेष आपत्ति नहीं है बल्कि मुख्य आपत्ति यह है कि अंतरिम भरण–पोषण राशि अधिक निर्धारित की गयी है जो कम की जाये ।

9. यह उल्लेखनीय है कि पत्नी पक्ष ने पति पक्ष की मासिक आय 30,000/–(तीस हजार रूपये) बतायी है और उसे कम्प्यूटर ऑपरेटर व मैनेजर होना कहा है । जबकि, पति पक्ष ने अपनी मासिक आय मात्र 7,000/– (सात हजार रूपये) कही है । वर्तमान समय में, महंगाई दर को देखते हुए और यह पाते हुए कि श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भी अकुशल श्रमिक की मासिक मजदूरी लगभग 9,000/–(नौ हजार रूपये) से भी अधिक होती है । उपरोक्त अवस्था में, जब आवेदक पति पक्ष अपने तर्क के अनुसार, इस बाबत् अभिवचन नहीं बता पाया है कि उस पर, उसके वृद्ध माता–पिता भी आश्रित हों तब विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी अंतरिम भरण–पोषण 3,000/–(तीन हजार रूपये) ज्यादा होना प्रकट नहीं होता है । ऐसी दशा में, 'प्रश्नाधीन आदेश' में हस्तक्षेप किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है । इस प्रकार, 'प्रश्नाधीन आदेश' में क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है ।

10. अतः यह दाण्डिक पुनरीक्षण आवेदन अंतिम सुनवाई योग्य ना पाते हुए खारिज किया जाता है ।

सही/–

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश

पोमन